रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936
No. 217] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2014

सं. 5-1/2013-एनएस-II.—केन्द्रीय सरकार, लोक ऋण नियम, 1946 के नियम 4 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ यह विनिर्दिष्ट करती है कि

(i) **9.50% (नौ दशमलव पचास प्रतिशत)** भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2013 लोक ऋण कार्यालय द्वारा रखे गए सहायक सामान्य बही खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'पूंजी-पत्र' के रूप में निर्गत की जाएंगी; और

(ii) ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी ।

9.50% भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2013 का निर्गम

सं. 5-1/2013-एनएस-II.—भारत सरकार, 01 अप्रैल, 2013 से अगली सूचना तक, **9.50 प्रतिशत** भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2013 (इसमें इसके पश्चात इसे "विशेष प्रतिभूति" कहा गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

2. **उददेश्य**:

केन्द्रीय सरकार, भारत के लोक लेखा में "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" (एनएसएसएफ) के नाम से ज्ञात एक नई निधि के सृजन के परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से समय-समय पर प्राप्त रकमों के लिए इसके अधीन अधिसूचित विशेष प्रतिभूतियां निर्गत करेगी।

3. **विशेष प्रतिभूतियों में अभिदाय के लिए पात्रता**:

सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग एनएसएसएफ द्वारा निवेशित रकमों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट विशेष प्रतिभूतियों में अभिदाय करने के लिए पात्र होगा।

4. **अभिदान**:

विशेष प्रतिभूतियां रु.1,00,000 (अंकित मूल्य) की रकम और उसके बाद रु.1,00,000 के गुणज में निर्गत की जाएंगी।

5. **प्रतिभूतियों का स्वरूप**:

विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में रखे गए सहायक सामान्य बही खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'पूंजी-पत्र' के रूप में निर्गत की जाएंगी।

6. **निर्गम का मूल्य, तारीख और स्थान:**

(i) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर निर्गमित की जाएंगी।

(ii) विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख वह होगी जिस तारीख को विशेष प्रतिभूतियां सहायक सामान्य बही खाते में जमा करायी गयी हैं, परंतु राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से पहले जारी की गयी और इस अधिसूचना के जारी किए जाने से पूर्व सरकारी खाते में जमा करायी गयी रकमों का दशा में, विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को वे रकम सरकार के खाते में जमा की गयी है।

(iii) विशेष प्रतिभूतियां लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में निर्गमित की जाएंगी।

7. अवधि:

विशेष प्रतिभूतियों की अवधि निर्गम की तारीख से **25 वर्ष** होगी।

8. ब्याज:

(i) विशेष प्रतिभूतियों पर **9.50%** प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। ब्याज विशेष प्रतिभूतियों के निर्गमन की तारीख से संगणित वार्षिक आधार पर संदेय होगा। प्रतिभूति पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय (अर्थात निर्गम करने वाला कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में संदेय होगा।

(ii) ब्याज, लगभग सौ रुपए के पूर्णांकन के बाद संदेय किया जाएगा।

9. चुकौती:

विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती, निर्गमन की तारीख से छठवें वर्ष से बीस समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी।

10. अंतरणीयता और संपरिवर्तन

विशेष प्रतिभूतियां अंतरणीय नहीं होंगी और इनके किसी अन्य रूप में संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट न किया जाए।

11. सांविधिक उपबंध

ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसका इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) और इसके अधीन विरचित लोक ऋण नियम, 1946 द्वारा अधिशासित होंगी।

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2014

No. 5-1/2013-NS.II.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Rule 4 of the Public Debt Rules, 1946 the Central Government hereby specifies for the purpose of Sub clause (b) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) that

(i) **9.50% (Nine point fifty per cent)** Government of India (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2013 shall be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by the Public Debt Office; and

(ii) these securities shall not be transferable.

Issue of 9.50% Government of India
(National Small Savings Fund) (Non-transferable)
Special Securities, 2013

No. 5-1/2013-NS.II.—The Government of India, hereby notifies the issue of **9.50 per cent** Government of India (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2013 (hereinafter called "special securities") from 1st April 2013 until further notice.

2. Objective:

Consequent upon the creation of a new fund in the Public Account of India called the "National Small Savings Fund" (NSSF), the Central Government shall issue the Special Securities notified hereunder against the amounts received by the Government from NSSF from time to time.

3. Eligibility for subscribing to special securities:

The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, shall be eligible to subscribe to special securities for the amounts invested by NSSF as specified by the Central Government from time to time.

4. Subscription:

Special securities will be issued for an amount of Rs. 1, 00,000 (face value) and in multiples of Rs. 1, 00,000 thereafter.

5. Form of securities:

The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

6. Price, Date and Place of Issue:

(i) The special securities will be issued at par.

(ii) The date of issue of special securities shall be the date on which the special securities are credited to the Subsidiary General Ledger Account provided that in the case of amounts already released from NSSF and credited to the government prior to this Notification, the date of issue of special securities shall be date of such credit to the Government.

(iii) The Special Securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

7. Tenure:

The tenure of the special securities will be **25 years** from the date of issue.

8. Interest:

(i) The special securities will bear interest at the rate of **9.50** per centper annum. Interest will be payable at annual intervals reckoned from the date of issue of the special securities. Interest on the security will be payable at the Public Debt Office (i.e. the office of Issue), Reserve Bank of India, Nagpur.

(ii) Interest will be paid after rounding off to be nearest hundred rupees.

9. Repayment:

The special securities shall be repayable in twenty equal annual installments starting from the 6th year from the date of issue.

10. Transferability and conversion:

The Special Securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

11. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Public Debt Act, 1944 (18 OF 1944) and the Public Debt Rules, 1946 framed there under.

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2014

सं. 5-1/2013-एनएस-II.—केन्द्रीय सरकार,लोक ऋण नियम, 1946 के नियम 4 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ यह विनिर्दिष्ट करती है कि

(i) **9.50% (नौ दशमलव पचास प्रतिशत)** भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2034 लोक ऋण कार्यालय द्वारा रखे गए सहायक सामान्य बही खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'पूंजी-पत्र' के रूप में निर्गत की जाएंगी; और

(ii) ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होगी।

9.50% भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि)

(अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2034

का निर्गम

सं. 5-1/2013-एनएस-II.—भारत सरकार, **9.50 प्रतिशत** भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2034 (इसमें इसके पश्चात इसे "विशेष प्रतिभूति" कहा गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

2. **उददेश्य**:

केन्द्रीय सरकार 1.4.1999 से संग्रहित निवल अल्प बचत संग्रहों के अंशों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की विशेष प्रत्तिभूतियों के मोचन के कारण "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" (एनएसएसएफ) में प्राप्त रकमों के लिए इसके अधीन अधिसूचित विशेष प्रतिभूतियां निर्गत करेगी।

3. **विशेष प्रतिभूतियों में अभिदाय के लिए पात्रता**:

सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, एनएसएसएफ की ओर से विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होगा।

4. **अभिदान**:

रु.10020 करोड़ (दस हजार बीस करोड़ रुपए केवल) की राशि की विशेष प्रतिभूतियां निर्गत की जाएंगी।

5. **प्रतिभूतियों का स्वरूप**:

विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में रखे गए सहायक सामान्य लेखा खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'पूंजी-पत्र' के रूप में निर्गत की जाएंगी।

6. **निर्गम का मूल्य**, **तारीख और स्थान:**

(i) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर निर्गत की जाएंगी।

(ii) विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख 31 मार्च, 2014 होगी।

(iii) विशेष प्रतिभूतियां लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में निर्गत की जाएंगी।

7. अवधि:

विशेष प्रतिभूतियों की अवधि निर्गम की तारीख से **20 वर्ष** होगी।

8. क्रय-विक्रय विकल्पः

(i) विशेष प्रतिभूतियों के संबंध में क्रय-विक्रय का विकल्प होगा जैसा इस विभाग की तारीख 6 मई, 2002 के फाईल सं. 4(9)-डब्ल्यूएण्डएम/2000 द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना के पैराग्राफ 7.5 में निर्दिष्ट है।

(ii) भारत सरकार को दो वर्ष के उपरांत परिपक्वता के पहले विशेष प्रतिभूतियों के पूर्णतः अथवा आंशिक मोचन के लिए **"**क्रय विकल्प**"** का उपयोग करने का अधिकार होगा। ऐसी दशा में, सरकार द्वारा निर्धारित परिपक्वता-पूर्व मोचन की तारीख से मोचित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।

(iii) विशेष प्रतिभूतियों का धारक अर्थात राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को दो वर्ष के उपरांत परिपक्वतापूर्व विशेष प्रतिभूतियों के पूर्णतः अथवा आंशिक मोचन के लिए **"**विक्रय विकल्प**"** का उपयोग करने का अधिकार होगा। ऐसी दशा में, सरकार द्वारा निर्धारित परिपक्वता-पूर्व मोचन की तारीख से मोचित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।

9. ब्याज:

(i) विशेष प्रतिभूतियों पर 9.**50 % (नौ दशमलव पचास प्रतिशत)** प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। अप्रैल से सितम्बर और अक्तूबर से मार्च की अर्धवार्षिक अवधियों के लिए प्रोद्भूत ब्याज क्रमशः 31 मार्च एवं 30 सितम्बर को संदेय होगा। प्रतिभूति पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय (अर्थात् निर्गम करने वाला कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में देय होगा।

(ii) ब्याज लगभग सौ रुपए के पूर्णांकन के बाद संदेय किया जाएगा।

10. चुकौती:

विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती उपर्युक्त पैराग्राफ 8 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन 31 मार्च, 2034 को की जाएगी।

11. अंतरणीयता और संपरिवर्तन

विशेष प्रतिभूतियां अंतरणीय नहीं होंगी और इनके किसी अन्य रूप में संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट न किया जाए।

12. सांविधिक उपबंध:

ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसका इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) और इसके अधीन विरचित लोक ऋण नियम, 1946 द्वारा अधिशासित होंगी।

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2014

No. 5-1/2013-NS.II.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Rule 4 of the Public Debt Rules, 1946 the Central Government hereby specifies for the purpose of Sub Clause (b) of Clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) that

(i) **9.50% (Nine point fifty per cent)** Government of India (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2034 shall be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by the Public Debt Office; and

(ii) these securities shall not be transferable.

Issue of 9.50% Government of India
(National Small Savings Fund) (Non-transferable)
Special Securities, 2034

No. 5-1/2013-NS.II.- The Government of India, hereby notifies the issue of **9.50 per cent** Government of India (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2034 (hereinafter called "special securities").

2. Objective:

Central Government shall issue the Special Securities notified hereunder against the amount received in the National Small Savings Fund (NSSF) on account of redemption of special Government of India and State Government securities issued against shares of net small savings collection from 1-4-1999 onwards.

3. Eligibility for subscribing to special securities:

The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on behalf of NSSF, shall be eligible to subscribe to special securities.

4. Subscription:

Special securities will be issued for an amount of Rs. 10020 crore (Rupees Ten thousands twenty crore only).

5. Form of securities:

The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

6. Price, Date and Place of Issue:

(i) The special securities will be issued at par.
(ii) The date of issue of special securities shall be the date of 31st day of March, 2014.
(iii) The Special Securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

7. Tenure:

The tenure of the special securities will be **20 years** from the date of issue.

8. Call and put option:

(i) The Special Securities will have the call and put options as specified in paragraph 7.5 of the General Notification, issued vide this Department's F. No. 4(9)-W&M/2000, dated 6th May, 2002.

(ii) The Government of India shall have the discretion to exercise "call option" to prematurely redeem the special securities wholly or partly at par, after two years. In that event, interest on the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date of premature redemption decided by the government.

(iii) The holder of the Special Securities, i.e. National Small Savings Fund shall have the discretion to exercise "put option", for premature redemption of the special securities, wholly or partly at par, after two years. In that event, interest on the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date of premature redemption.

9. Interest:

(i) The special securities will bear interest at the rate of **9.50%** (Nine point fifty per cent) per annum. Interest accrued for the half yearly periods from April to September and October to March will be payable on 31st March and 30th September respectively. Interest on the securities will be payable at the Public Debt Office (i.e. the office of issue), Reserve Bank of India, Nagpur.

(ii) Interest will be paid after rounding off to be nearest hundred rupees.

10. Repayment:

The special securities shall be repaid at par on March 31, 2034 subject to the terms specified under paragraph 8 hereinabove.

11. Transferability and conversion:

The Special Securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

12. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.